

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन (प्रपत्र- 1)

1. आवेदक का नाम :.....
2. पिता / पति का नाम :.....
3. लिंग :—पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर
4. पूरा पता :—ग्राम / मुहल्ला :.....
पंचायत / नगर बार्ड नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत
- थाना :—..... प्रखण्ड :—..... अनुमंडल :—.....
- जिला :—..... डाक घर :—..... पिन कोड :—.....
5. कोटि :— अनु०जाति / जनजाति / पिछड़ी जाति / अति पिछड़ी जाति / अल्पसंख्यक / सामान्य
6. आधार संख्या (अनिवार्य) :—.....
(आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)
7. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाइल नं०..... ई-मेल (यदि हो तो)
8. आवेदक का पहचान चिह्न
9. आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण (अनिवार्य) —
(क) बैंक खाता संख्या (ख) आई०एफ०एस० कोड
(ग) शाखा का नाम (घ) शाखा कोड
(नोट— बैंक खाता आवेदक के नाम से होने चाहिए, संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा।)
10. आयु (यथा आधार कार्ड में अंकित) :—
11. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि—
 - (i) मेरी आयु 60 वर्ष या उससे अधीक है।
 - (ii) मुझे सरकारी सेवा का पेंशन या पारिवारिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।
 - (iii) मैं (नाम) जिला बिहार राज्य का निवासी हूँ।
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरणी सही है। यदि कोई सूचना गलत / झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय।

फोटो

तिथि :—

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठेका निशान